न्यायालय जिला कलक्टर,कोटपूतली–बहरोड़ (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
68 / 2023	14.12.2023	23.01.2024

1. गोकुल पुत्र सुरजा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम तालवा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़। ....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. प्रहलाद
3. घीसाराम
4. हनुमान पुत्रान सोहन
5. गुरूदयाल
6. घीसाराम
7. बनवारी
8. रामेश्वर प्रसाद पुत्रान जालिम
9. तीजा पत्नि सुगाराम
10. लालू पुत्र नारायण
11. हरिराम पुत्र भागीरथ
12. अर्जुन
13. इन्द्राज
14. मोठाराम
15. रोतास
16. सुगाराम पुत्रान श्योनारायण
17. जयराम
18. धन्शी
19. बीरबल
20. भागीरथ
21. रामसिंह पुत्रान सुरजा
22. धापली पत्नि सुरजा
    समस्त जातियान गुर्जर, निवासी ग्राम तालवा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।
23. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
24. सब रजिस्ट्रार, पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

..........................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी पावटा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी प्रहलाद वगै0 बनाम गुरूदयाल वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पीठासीन अधिकारी पावटा से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी पावटा ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट / 2024 / 15 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी स्वयं एवं वकील प्रार्थी अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी पावटा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। पत्रावली

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

का भलीभांति अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी पावटा को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़